il foKfIr

19 viy 2017

ifyl dh rRijrk d dkj.k cky fookg :dk] ukckfydk dk Hkfo"; gvk ljf{kr

ज्ञात रहे कि दिनांक 18.04.2017 को जरिये मोबाईल खास सुचना पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव इस आश्य की मिली की पुलिस थाना सांगड के हल्का क्षेत्र गॉव डांगरी में भीलो की बस्ती में पेपांराम भील की नाबालिक बच्ची का विवाह होने जा रहा है। बाल विवाह को अविलम्ब रूकवावे।

जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत थानाधिकारी दिलीप खदाव को बाल विवाह की सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की पालना में थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड मय जाब्ता द्वारा बिना समय गवाये त्वरित कार्यवाही करते हुए गॉव डांगरी में पैंपाराम पुत्र नेहचलाराम के घर पहुॅचे। जहॉ पेंपाराम के घर पर कई लोग उपस्थित थे । शादी की लाईटै जल रही थी । विवाह के आयोजन की तैयारीया चल रही थी । उपस्थित लोगो से पुछताछ पर तस्दीक हुई कि पेंपाराम की लड़की शादी हो रही है। जिस पर थानाधिकारी द्वारा पेंपाराम से उसकी लड़की की जन्मतिथी बाबत सरकारी व स्कुली दस्तावेज चाहे गये तो मुताबिक स्कुली टीसी कक्षा तीसरी के लडकी की जन्मतिथी 05.09.2000 होनी पायी गयी जो विवाह की सक्षम आयु 18 साल से कम है। जिस पर थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर को अवगत करवाया जाने पर जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत उपखण्ड मजिस्टैट फतेहगढ को मौका पर पहुॅचने हेतु निर्देशन पर उपखण्ड मजिस्टैट श्री रणसिंह व पटवारी डांगरी श्री प्रागदान मौका पर पहुॅचे । बाल विवाह रोकने की सख्त हिदायत व नोटिस की पालना सुनिश्चित करवायी जाकर नाबालिग बच्ची की शादी रूकवायी गयी बारात को वापस रवाना कर विवाह संबंधी आयोजन को निरस्त करवाया गया तथा पुलिस एवं प्रशासन के आपसी समन्वय ने नाबालिक बच्ची का भविष्य खराब होते हुए बचाया गया।

ifyl v/kh{kd }kjk vihy

पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा समस्त जिले वासियों से अपील की जाती है कि बाल विवाह जोकि एक सामाजिक कुरीति है जिसके कारण नाबालिक बच्चों का भविष्य खराब होता है। समस्त आमजन शादी हेतु निर्धारित की गई उम्र के अनुसार बच्चों की शादी करे तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाये ना कि बाल विवाह कर बच्चों के भविष्य को खराब करे। आप समस्त आमजन इस बात का विशेष ध्यान रखे तथा ना बाल विवाह करवावे तथा अपने नजदीक कई भी बाल विवाह की ऐसी सुचना मिले तो इसकी सुचना **ifyl dVky :e uEcj 02992&252100] 250747] 100 ifyl d okVl,li uEcj 9530438560 ,o lk'ky ,dkmUV Qlcd] VohVj** पर या अपने नजदीकी थाना/चौकी पर देवे। सुचना देने वाले का नाम एवं पता पूर्णताः गुप्त रखा जायेगा। जो भी व्यक्ति बाल विवाह करवाता हुआ पाया गया या बाल विवाह में सहयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

THE END